

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं कें. उत्पाद शुल्क आयुक्तालय : सूरत
C G S T & Central Excise Commissionerate: Surat

सी जी एस टी बिल्डिंग, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001
C G S T Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat



कार्यालय आदेश- 2021-22

राजभाषा नियम 1976 एवं वार्षिक कार्यक्रमानुसार 'ख' क्षेत्र में 90% निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मुख्यालय एवं सभी मंडल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैं :-

1. सभी मंडल राजभाषा समिति गठित कर नियमित तिमाही बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें।
2. हिंदी अनुवाद अधिकारी मंडलों में जाकर नियमित रूप से तिमाही राजभाषा बैठकें आयोजित कराएं तथा बैठक का कार्यवृत्त मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. सभी मंडल एवं मुख्यालय के लेखानुभाग (व्यय) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिंदी में दर्शावें।
4. फाइलों एवं रजिस्ट्रों पर शीर्षक एवं प्रविष्टियाँ हिंदी अथवा द्विभाषा में करें।
5. अधिकारियों की नेम प्लेट, गाड़ियों की नेम प्लेट, साइन बोर्ड, सूचना पट्ट हिंदी अथवा द्विभाषा में जारी करें और ऊपर हिंदी तथा नीचे अंग्रेजी का क्रम रखें। हिन्दी के अक्षर बोल्ड रखे जाएँ।
6. सभी मंडल एवं अनुभाग कुल मूल पत्राचार का 90% पत्राचार राजभाषा हिंदी में करें।
7. प्रशासनिक अनुभाग रबर मुहरे, लोगो एवं सीलें द्विभाषी बनवायें और ऊपर हिंदी तथा नीचे अंग्रेजी का क्रम रखें। केवल अंग्रेजी में जारी की गई रबर मुहरे तत्काल वापिस ली जाएं।
8. प्रशासनिक एवं स्थापना अनुभाग सामान्य आदेश, टेंडर, संविदा, विज्ञापन/ विज्ञप्ति, अधिसूचना एवं कार्यालय आदेश अपरिहार्य रूप से हिंदी अथवा द्विभाषा (हिंदी एवं अंग्रेजी) में जारी करें।
9. मुख्यालय के सभी अनुभाग तथा मंडल तत्काल सूचित करें कि उनके कार्यालय में 80% से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा हिंदी में प्रवीण/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं।
10. हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुस्मारक पत्र भी हिंदी में जारी करें।
11. कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला आयोजित की जाएं।

कृपया उक्त कमियों को 15 दिन के अन्दर दूर करके कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देकर हिंदी की प्रगति एवं विकास में योगदान दें। सभी मंडल एवं मुख्यालय के अनुभाग उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन कर मुख्यालय को रिपोर्ट करें।

आयुक्त

माल व सेवाकर एवं

कें.उ.शु. आयुक्तालय,सूरत
सेवा में

उपायुक्त / सहायक आयुक्त , सभी मंडल- I/ II/ III/ IV/ V/ VI/ VII/ VIII/ IX/ X/ XI/ XII
प्रभारी, सभी अनुभाग, जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज मुख्यालय, सूरत

